

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठारीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 88 सन 2022

अनवान :-

1. भालाराम पुत्र चन्दुराम जाति नायक निवासी लाखासर हाल चक 5 एनडब्ल्यूडी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :- 03/08/22

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 41/69 के खसरा न० 246/2 की कुल 2.2430 हैक्ठु भूमि वादी के नाम दर्ज है।

उक्त भूमि मे वादी का नाम कालुराम पुत्र चन्दुराम दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम भालाराम पुत्र चन्दुराम जाति नायक निवासी हाल चक 5 एनडब्ल्यूडी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम भालाराम पुत्र चन्दुराम है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम भालाराम पुत्र चन्दुराम दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम कालुराम पुत्र चन्दुराम दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केंसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखतेदार से कोई अनुतोष नहीं है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर कालुराम पुत्र चन्दुराम के स्थान पर भालाराम पुत्र चन्दुराम संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिफ्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेशोकार राज उपस्थित होकर जबाय पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सयुक्तों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जबाय शामिल मिलस किया गया। उभयपक्षों की बहस सुनी।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 41/69 के खसरा न० 246/2 की कुल 2.2430 हैक्ठु भूमि वादी के नाम दर्ज है।

उक्त भूमि मे वादी का नाम कालुराम पुत्र चन्दुराम दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम भालाराम पुत्र चन्दुराम जाति नायक निवासी हाल चक 5 एनडब्ल्यूडी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम भालाराम पुत्र चन्दुराम है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम भालाराम पुत्र चन्दुराम दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम कालुराम पुत्र चन्दुराम दर्ज किया गया है जो गलत है।

22
उपखण्ड अधिकारी चन्दुराम दर्ज किया गया है जो गलत है।
नोहर

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केरीरी, खाद बीज का ऋण, मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नहीं है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सयुक्तों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मौजा लाखार के खाता संख्या 41/69 के खसरा न0 246/2 की कुल 2.2430 हैक् भूमि वादी के नाम दर्ज है जिसमें वादी का नाम कालुराम पुत्र चन्दुराम दर्ज है

वादी का कथन है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय भालाराम पुत्र चन्दुराम के स्थान पर कालुराम पुत्र चन्दुराम दर्ज किया गया है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, दस्तावेजात सभी में वादी का नाम भालाराम पुत्र चन्दुराम जाति नायक निवासी हाल चक 5 एनडब्ल्यूडी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर दर्ज है। तथा अपने नाम के समर्थन में सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक पेश की गई वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वादी का नाम भालाराम होना प्रतित होता है

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नहीं होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र/सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक/पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज पेश होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सयुक्त एवं सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नहीं होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखार के खाता संख्या 41/69 के खसरा न0 246/2 की कुल 2.2430 हैक् भूमि में वादी का नाम कालुराम पुत्र चन्दुराम अंकित है के स्थान पर कालुराम उर्फ भालाराम पुत्र चन्दुराम जाति नायक हाल चक 5 एनडब्ल्यूडी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तर्तीव तकमील जाब्त दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03/03/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिनियम
नोहर (इन्डमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :-

1. भालाराम पुत्र चन्दुराम जाति नायक निवासी लाखासर हाल चक 5 एनडब्ल्यूडी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

- 1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 88 सन 2022 निर्णय दिनांक-02/02/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी राक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही गौजा लाखासर के खाता संख्या 41/69 के खसरा न0 246/2 की कुल 2.2430हैक् भूमि में वादी का नाम कालुराम पुत्र चन्दुराम अंकित है के स्थान पर कालुराम उर्फ भालाराम पुत्र चन्दुराम जाति नायक निवासी हाल चक 5 एनडब्ल्यूडी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/02/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)